



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक-

463

/प्रवर्तन जोन-4/2024

दिनांक 06/11/24

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र-ब भाग-अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है)

गोल्फ लिंक के पॉकेट पी-1, महरौली, एन0एच0-24, गाजियाबाद के 76627.26 वर्ग मी० भूखण्ड क्षेत्रफल पर मैसर्स लैण्ड क्राफ्ट डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग टावर्स जिसका स्वीकृत मानचित्र संख्या-573/जोन-4/2012-13 दिनांक 17.02.2014 एवं संशोधित मानचित्र संख्या-573/जोन-4/2012-13 दिनांक 15.03.2017 के क्रम में प्रस्तुत टावर-3डी, 4डी के शमन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 07.07.2023 को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप आवेदक/विकासकर्ता द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग टावर-3डी, 4डी (408 यूनिट) के आशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु दिये गये आवेदन दिनांक 12.09.2023 एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण क्षेत्रीय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव, विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/शमनित मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर प्रश्नगत टावर 3डी, 4डी के 408 फ्लैट्स का आशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 04.01.2024 को प्रदान की गयी है।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत उक्त ग्रुप हाउसिंग के टावर-3डी, 4डी (408 यूनिट) हेतु आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों के क्रम संख्या 1 से 17 के अधीन जारी किया जाता है।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-4

06/11/24

शर्तों/प्रतिबन्ध :-

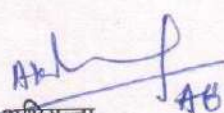
1. भवन की संरचना, सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी का दायित्व वास्तुविद्/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी।
2. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं अन्य सर्विसेज के क्रियान्वयन, क्रियाशीलता एवं रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. स्वीकृत वृक्षों/ग्रीन क्षेत्र एवं आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
4. अग्निशमन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों आदि का अनुपालन करना होगा, तथा विभाग द्वारा दिये गये सुझावों, निर्देशों एवं अग्निशमन व्यवस्था को सदैव स्थल पर कार्यशील रखना होगा एवं इसकी सुरक्षा सम्बन्धी जांच समय-2 पर शर्तों के अनुसार अग्निशमन विभाग से कराना होगा, तथा सम्पूर्ण योजना का पूर्ण सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय पुनः सम्पूर्ण परिसर पर अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तथा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष अग्निशमन व्यवस्था की जांच एवं क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता/आर0डब्लू0ए0 की होगी।
5. लिफ्ट के सम्बन्ध में निदेशक विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन तथा शर्तों के अनुसार जांच एवं क्रियाशीलता नियमित रूप से रखी जायेगी।
6. विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी जारी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता को करना होगा।
7. प्रस्तुत स्ट्रक्चरल सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर/विकासकर्ता की होगी, जिनके द्वारा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।
8. आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद प्रश्नगत टावर में कोई परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
9. पर्यावरण के दृष्टिगत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों एवं MOEF की गाईड लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
10. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-573/एम0पी0/जोन-4/2012-13 दिनांक 15.03.2017 (संशोधित) एवं स्वीकृत शमन मानचित्र दिनांक 29.09.2021 एवं शमनित मानचित्र दिनांक 09.08.2023 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं शपथ पत्र दिनांक 01.09.2023, 06.09.2023 एवं 6.09.2023 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।





11. भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में निर्गत आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
12. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट-2010 के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत डिक्लेरेशन का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. नियमानुसार आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 के गठन एवं आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 को सभी सुविधायें हस्तान्तरण होने तक समस्त सुविधाओं का अनुरक्षण विकासकर्ता द्वारा ही कराया जायेगा।
14. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय वर्तमान में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र वाले भाग का पुनः तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
15. मा0 एन0जी0टी0/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य मा0 न्यायालयों द्वारा डस्ट/प्रदूषण रोकने सम्बन्धी पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
16. स्थापित सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट संयंत्र तथा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग को सदैव क्रियाशील रखना होगा।
17. उपरोक्तानुसार स्वीकृत/शमनित मानचित्रों में अंकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालन न किये जाने की दशा में जारी किया गया आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


05/01/24
अवर अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

प्रपत्र-“ब”

ग्रुप हाऊसिंग, व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
(उपविधि संख्या-3.1.8)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (i) आवेदक का नाम
(ii) वर्तमान पता
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
4. भवन का अनुमन्य उपयोग
5. (i) भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि
(ii) परमिट संख्या
(iii) यदि स्वतः अनुमोदित है तो प्राविधान का विवरण :

LANDCRAFT GOLF LINKS

GOLFLINKS, NH-24, VILLAGE- MEHRAULI, DIST- GHAZIABAD, UP.
Residential Group Housing at Pocket- P-1 (Tower 3D&4D)
"LANDCRAFT GOLF LINKS" (INTEGRATED TOWNSHIP)
VILL. - MEHRAULI, GHAZIABAD (U.P.)

74,763.97 SQ. MTS.

Residential Group Housing

03.07.2017

573/जॉन-4/2012-13

प्राविधान का विवरण :

यदि भवन मानचित्र जमा करने की तिथि से निर्धारित अवधि में भवन मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो -

मानचित्र जमा करने की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें :

6. (i) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें
- (ii) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें

6/11/2022 / प्रवर्तन जॉन-4/2022

DATE-09/08/2023

DATE-20/07/2023

DD NO _767366 BANK OF BARODA

7. निर्माण की स्थिति :

क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत / शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.1 भू-आच्छादन (प्रतिशत)

16.58 %

- 7.2 एफ.ए.आर.

TABLE ATTACHED

- 7.3 सैट बैक (दूरी मीटर में)

(क) सामने	15 MTR
(ख) पीछे	15 MTR
(ग) दाएँ	15 MTR
(घ) बाएँ	15 MTR



क्रमांक	प्राविधान	अनुमन्य	निर्मित	स्वीकृत/शमन किया गया विचलन
1	2	3	4	5

- 7.4 (अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी. में 9647.74 SQM
7.4 (ब) बेसमेन्ट का उपयोग PARKING / STOREGE
7.5 स्टिल्ट प्लोर
(अ) क्षेत्रफल 652.86 SQM
(ब) उपयोग PARKING / STOREGE
7.6 पार्किंग ((क्षेत्रफल व.मी. में) 10291.42 SQM
7.7 भवन की ऊँचाई (मीटर में) 106.550 M
7.8 मंजिलों की संख्या 2 BASEMENT + STILT + 34 FLOORS
8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य DATE- 14/06/2023 UPFS/2023/85946/GZB/GHAZIABAD/5189/JD
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
9. सुविधाओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए :
(क) जल-आपूर्ति YES
(ख) मलोत्सारण YES
(ग) जल निकास YES
(घ) सोलर वाटर संयन्त्र N/A
(ङ) विद्युत आपूर्ति YES
(च) लिफ्ट YES
(चीफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर, उ.प्र. से लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
10. गारवेंज शूट (है/नहीं) (SWM)
11. एविएशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा में
एविएशन लाइड्स लगी हैं/नहीं लगी हैं
12. रेनवाटर हार्वैस्टिंग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
(है/नहीं)
13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन :
(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नहीं है
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है। है/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नहीं है जो शमन न कराया गया हो। अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :

- 1.
- 2.
- 3.

दिनांक 14/09/2023

टिप्पणी :- 1. उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

2. भवन काम्पलेक्स में प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

For Landcraft Developers Pvt. Ltd

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण-पत्र सहित) Auth. Signatory



[Signature]

[Signature]

[Signature]
A.E.

भाग-ब

पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

SKARDI GREENS
-POCKET P1

प्रमाणित किया जाता है कि श्री JAIVEER SINGH (आवेदक का नाम) के भूखण्ड संख्या.
खसरा संख्या LAND CRAFT GOLF LINKS पर स्थित भवन संख्या TOWER 3D-4D का
निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया गया। उपरोक्त दी गई समस्त
सूचनाएं सही हैं। इस संदर्भ में मेरी आख्या निम्नवत् हैं :-
निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक -7 पर
अंकित कर दिया गया है।
भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित/पुनर्निर्मित/परिवर्तित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी
गुणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त
एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता-प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर: पंजीकृत वास्तुविद/अभियंता
नाम/पता
काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर का
पंजीकरण/लाइसेन्स संख्या
लाइसेन्स वैधता की अवधि

KAILASH CHANDER AGGARWAL
J-16 SECTOR 41, NOIDA

CA/86/10069
31/12/2031

दिनांक 14/04/23

भाग-स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(ग्रुप हाऊसिंग/व्यवसायिक एवं बहुखण्डी भवन हेतु)

निर्मित भवन में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (रूफ टाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास
प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप किया गया है।

हस्ताक्षर:

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

दिनांक



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2006 (यथा संशोधित 2018)

Table For Appendix-6 Page 1,2,3 SKARDI GREEN TOWER 3D-4D POCCKET P1 LAND CRAFT GOLF LINKS

Sn.	Item	%	Provision	Sanctioned / Permissible	Existing	Compunded	Completion
1	Ground Coverage			13141.642	13137.270	13137.270	
2	F A R			280364.880	280224.100	280224.100	
3	Builtup Area			399417.435	394292.670	394292.670	
4	Parking			3700.000	3542.000	3542.000	
5	Height (for Tower 3D-4D)			106.550	106.550	106.550	
6	Upper Basement Area			58445.880	56077.130	56077.130	
7	Lower Basement Area			47168.720	44611.130	44611.130	
8	Tower			18	18	18	12+2 (for Tower 3D-4D)
9	Floor (for Tower 3D-4D)			2B+S+34	2B+S+34	2B+S+34	

[Signature]

[Signature]

[Signature]
#6

KAILASH AGGARWAL
ARCHITECT
(CA-86-10069)
J-16, SECTOR-41, NOIDA